Association, through formal and informal discussions with All India Bank Employees Union/Associations has on various occasions explained the difficulty in conceding their demand for pension as a third retirement benefit in view of the heavy financial liabilities involved and its repercussions on the other public sector undertakings and the Govt. The Government had appealed to the Union Leaders not to go on strike on this issue. The Regional Labour Commissioner Bombay had held a conciliation meeting to resolve the issue a few days before the strike. As a result of these measures, some important unions of workmen and associations of officers have accepted the reality of the situation that pension in addition to contributory provident fund is not possible and refrained from the strike.

सरकारी विभागों में कर्मचारियों की संख्या का निरीक्षण

208. **श्री रणजीत सिंह :**

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रत्येक सरकारी विभाग के कर्मचारियों की संख्या की "स्टाफ इन्स्पेक्शन यूनिट" द्वारा जांच कराए जाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ख) क्या यह सच है कि 1991 में कई विभागों में स्वीकृत संख्या से अधिक संख्या में कर्मचारी थे;

(ग) यदि हां, तो पिछले वर्ष स्टाफ इन्स्पेक्शन यूनिट ने किन-किन मंत्रालयों/विभागों का निरीक्षण किया था और प्रत्येक मंत्रालय/विभाग में कितने अतिरिक्त पद पाए गए थे और उनमें कितना वित्तीय बोझ अन्तर्ग्रस्त था; और

(घ) इस संबंध में सरकारी व्यय पर अंकुश लगाने के लिए यह निरीक्षण कार्य कब तक आरम्भ किए जाने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शान्ताराम पोटदुखे) : (क) कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा विभिन्न मंत्रालयों/विभागों की कर्मचारी संख्या की पुनरीक्षा करना एक चालू और सतत् प्रक्रिया है। सरकारी विभागों की जनशक्ति की आवश्यकताओं का मूल्यांकन कर्मचारी निरीक्षण एकक द्वारा प्रत्येक वर्ष एक निरीक्षण कार्यक्रम तैयार करके किया जाता है।

(ख) और (ग) सामान्य नियमों के अनुसार किसी भी कार्यालय/विभाग/मंत्रालय में कुल स्वीकृत संख्या से अधिक वास्तविक कर्मचारी संख्या नहीं हो सकती है। कैलेण्डर वर्ष 1991 के दौरान, कर्मचारी निरीक्षण एकक ने 38 विभिन्न संगठनों के बारे में रिपोर्टें पूरी की तथा उन्हें अन्तिम रूप दिया। इन संगठनों का नाम संलग्न विवरण (नीचे देखिए) में दिए गए हैं। इन संगठनों में से किसी संगठन में भी नियमित कर्मचारियों की संख्या स्वीकृत कर्मचारी संख्या से अधिक नहीं पाई गई थी।

(घ) भाग (ख) और (ग) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

इन संगठनों के नामों को दर्शाने वाला विवरण-पत्र जिनके बारे में कर्मचारी निरीक्षण एकक ने 1991 के दौरान अध्ययन पूरे किए गए तथा उन्हें अन्तिम रूप दिया

क्रम सं०	संगठन का नाम
1	पर्यटन मंत्रालय
2	महिला और बाल विकास विभाग
3	कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन—योजना आयोग
4	सीमेंट उद्योग विकास आयुक्त—उद्योग मंत्रालय
5	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद्—मानव संसाधन विकास मंत्रालय

क्रम सं०	संगठन का नाम
6	राष्ट्रीय सीमा-शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अकादमी–वित्त मंत्रालय
7	उर्वरक उद्योग समन्वय समिति–उर्वरक विभाग
8	रक्षा सम्पदा कार्यालय–रक्षा मंत्रालय
9	त्रिवेन्द्रम में अप्रवास जांच पोस्ट–गृह मंत्रालय
10	हस्त-शिल्प विकास आयुक्त–वस्त्र मंत्रालय
11	कैंटीन स्टोर्स विभाग (क्षेत्र डिपो)–रक्षा मंत्रालय
12	विधि साहित्य प्रकाशन–विधि और न्याय मंत्रालय
13	अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह प्रशासन का सचिवालय–गृह मंत्रालय
14	सूचना, प्रचार एवं पर्यटन विभाग अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह–गृह मंत्रालय
15	परिवहन निदेशालय, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह–गृह मंत्रालय
16	जहाजरानी सेवा महानिदेशालय, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह–गृह मंत्रालय
17	लक्षद्वीप प्रशासन के लेखों का विकेन्द्रीयकरण–गृह मंत्रालय
18	उप-लेखानियंत्रक (पुनर्वास)–गृह मंत्रालय
19	डाटा प्रोसेसिंग यूनिट, रोजगार और प्रशिक्षण महानिदेशालय–श्रम मंत्रालय
20	वाणिज्यिक जहाजी विभाग, बम्बई–भूतल परिवहन मंत्रालय
21	वाणिज्यिक जहाजी विभाग, मद्रास–भूतल परिवहन मंत्रालय
22	जिला कार्यालय, कार निकोबार, अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह–गृह मंत्रालय
23	अल्पसंख्यक आयोग–कल्याण मंत्रालय
24	नागरिक उड्डयन महानिदेशालय–पर्यटन एवं नागरिक उड्डयन मंत्रालय।
25	व्यय विभाग, संस्था (सम०) डैस्क–वित्त मंत्रालय
26	महाप्रबंधक का कार्यालय, अन्तर्राज्यीय बस अड्डा, दिल्ली विकास प्राधिकरण, शहरी विकास मंत्रालय
27	दिल्ली लाटरीज, दिल्ली विकास प्राधिकरण, शहरी विकास मंत्रालय
28	आयकर निदेशालय (आर एस पी एण्ड पी आर)–वित्त मंत्रालय
29	केन्द्रीय सरकारी स्वास्थ्य सेवा मेडिकल स्टोर डिपो (एलोपैथी, होम्योपैथी, यूनानी और आयुर्वेदिक), दिल्ली–स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
30	आप्रवास जांच पोस्ट एवं ब्यूरो–गृह मंत्रालय
31	अटारी रेलवे स्टेशन और वाघा बोर्डर पर आप्रवास जांच पोस्ट–गृह मंत्रालय
32	गृह मंत्रालय के समूह "घ" कर्मचारी
33	सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो मद्रास–स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
34	संस्कृति विभाग–मानव संसाधन विकास मंत्रालय
35	केन्द्रीय कामगार शिक्षा बोर्ड–गृह मंत्रालय
36	केन्द्रीय विदेशी ब्यूरो–गृह मंत्रालय
37	सरकारी मेडिकल स्टोर डिपो, कलकत्ता–स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय
38	वरिष्ठ गुणता आश्वासन स्थापना (इलेक्ट्रानिकी)–रक्षा मंत्रालय